न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री दौलत राम चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्या :— 87/2019

प्रार्थीगणः—	बनाम	अप्रार्थीः—
1. रूपाराम पुत्र श्री पीथाराम जाति सीरवी निवासी बेरा निम्बडिया हरियामाली तहसील सोजत जिला पाली (राज0)		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली।

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री भुण्डाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 18.08.2020

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा हरियामाली तहसील सोजत जिला पाली (राजस्थान) में वर्तमान खाता संख्या पुराना 68 नया खाता संख्या 68 के खसरा संख्या 397 रकबा 0.5600 हैक्टर, 398 रकबा 2.2800, खसरा संख्या 399 रकबा 0.0100 हैक्टर, खसरा संख्या 400 रकबा 0.1700 हैक्टर, खसरा संख्या 409 रकबा 5.5300 हैक्टर, खसरा संख्या 410/1014 रकबा 1.2800 हैक्टर कुल खसरा 06 रकबा 9.8300 हैक्टर आयी हुई स्थित है, जिसमें प्रार्थी का 1/24 हक हिस्सा है। उक्त विवादग्रस्तवर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी बतौर खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त आराजीयात की कृषि भुमि में प्रार्थी की विरासत में प्राप्त भूमि है, जिस भूमि पर प्रार्थी 1/24 हक हिस्सा उपयोग उपभोग लगातार बिना किसी बाधा अड.चन के चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्त है। उपरोक्त आराजीयात की कृषि भुमि में प्रार्थी के पिता का नाम वक्त सैटलमेन्ट सम्बत् 2030 से 2033 में प्रार्थी की विरासत की वल्दीयत पीथा, मगीया, बुधा, डूंगा, रूपा बेटा पोता जेठा का 1/6 हिस्सा खातेदारी काश्तकार का नाम कॉलम संख्या 23 में दर्ज है तथा जिस पर कृषक के नाम एवं पिता का नाम, निवास स्थान के कॉलम संख्या 24 में पुनः अंकन करते समय पीथा, मगीया, बुधा, डुंगा व रूपा पिसरान जेठा का 1/6 दर्ज कर दिया है, जो बिल्कुल ही राजस्व कर्मचारीयों से लिपिकिय भूल से हुआ है। जबकि कॉलम संख्या 23 में स्पष्ट है कि रूपा के पिता का नाम पीथाराम अंकित है। वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि पर प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व कर्मचारीयों की गलती से गलत अंकन हो गया है, जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है। वक्त सैटलमेन्ट सम्वत् 2030 से 2033 से पूर्व

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner

स्पष्ट अंकन है कि पीथा के पिता का नाम जेठा तथा मगीया, बुधा, डुंगा के पिता का नाम पीथा था। जो पीथा, मगीया, बुधा, डुंगा, रूपा बेटा पोता जेठा का 1/6 हिस्सा का स्पष्ट अंकन है। प्रार्थी के पिता का नाम राजस्व रेकर्ड में जेठा अंकित हो गया है। जबकि प्रार्थी के पिता का नाम पीथाराम है तथा प्रार्थी के समस्त सरकारी रेकर्ड में वल्दीयत पीथाराम ही अंकित है, जो सही हैं। जिसे दुरस्त किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत हैं। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रेकर्ड के किसी अन्य सह खातेदारान पर किसी प्रकार का कोई विपरित प्रभाव नही पडेगा और न ही किसी के खातेदारी अधिकार पर प्रभाव पडेगा। इस प्रकार अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत मय शपथ – पत्र एवं दस्तावेजात पेश कर विवादग्रस्त भूमि सरहद मौजा – हरियामाली तहसील– सोजत में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 397, 398, 399, 400, 409, व 410/1014 कुल किता 6 रकबा 09.8300 हैक्टर 1/6 हिस्सा किस्म चा0प्रथम, जा0अ0 बंजड, व गै0मु0 के वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में गलत रूप से दर्ज पीथा, मगीया, बुधा, डूंगा, रूपा पिता जेठा 1/6 हिस्सा के स्थान पर पीथा पुत्र जेठा, मगा, बुधा, डूंगा, रूपा पि0 पीथा1/6 हिस्सा दुरूस्त इन्द्राज दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है तथा पीथा, मगीया, बुधा, डुंगा, रूपा की मृत्यु हो जाने से इनके विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु आदेश दिये जाने की ईश्तदुआ की है। इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस वास्ते जबाब तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को नोटिस तामिली पश्चात्, रिपोर्ट तामिली प्राप्त हुई। सा0 मि0 की गई। दिनांक 04.[illegible]2019 के पश्चात से आज दिनांक तक जबाब प्रार्थना पत्र पेश करने मे अप्रार्थी वि[illegible] रहने से अवसर समाप्त किया जाकर जबाब प्रार्थना पत्र आज बन्द किया गया।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने व्यक्त किया कि उक्त विवादित भूमि के खातेदार मूल पुरूष जेठा के पीथा पुत्र हुए तथा पीथा के पुत्रान मगाराम, बुघाराम डुंगाराम व रूपाराम हुए जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत् 2029– 32, मिलान खसरा सेटलमेन्ट विभाग में यथा पीथा, मगीया, बुधा, डुंगा व रूपा बेटा पोता जेठा 1/6 हिस्सा कालम संख्या 23 में दर्ज है, किन्तु कॉलम संख्या 24 में अंकन करते समय पीथा मगिया बुघा डुंगा व रूपा पि0 जेठा हिस्सा 1/6 गलत रूप से दर्ज हो गया। जो लिपिकीय सद्भाविक भूल वश दर्ज हुआ है तथा वर्तमान जमाबन्दी राजस्व रेकर्ड में यथावत दर्ज चला आ रहा है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान व्यक्त तथ्यों के अनुसार पीथा, जेठा, का पुत्र है तथा पीथा के मगीया, बुधा, डुंगा, व रूपा चार पुत्र हुए जो जेठा के पौत्र है। पीथा के पिता का नाम जेठा तथा मगा, बुधा, डुंगा व रूपा के पिता का नाम पीथा है, न कि जेठा है। वस्तुतः जेठा कमशः मगा, बुधा, डूंगा व रूपा के दादा थे न कि पिता थे। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड दस्तावेजात, मृत्यु

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

प्रमाण पत्र पीथाराम दिनांक 19.02.2020 अनुसार भी पीथा के पिता का नाम जेठाराम तथा मगाराम, बुधाराम, डुंगाराम रूपाराम के पिता का नाम पीथाराम अंकित है। प्रस्तुत शपथ – पत्र, रूपाराम, ढगलाराम, पुत्र बुधाराम, गीगाराम पुत्र डुंगाराम तथा भोलाराम पोकरराम पिता मगाराम से भी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की संपुष्टि हो जाने से उक्त विवादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज इन्द्राज पीथाराम, मगाराम,बुधाराम डुंगाराम, रूपाराम पिता जेठा के स्थान पर पीथाराम पुत्र जेठाराम एवं मगाराम, बुधाराम, डुंगाराम रूपाराम पिता पीथाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के तहसीलदार सोजत को आदेश दिये जाने की ईश्तदुआ की है। उपस्थित तहसीलदार सोजत ने भी जबाव बहस के दौरान सद्भाविक भूलवश हुए उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज को पुनः दुरूस्त किये जाने की स्वीकारोक्ति व्यक्त की है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्ररूतुत प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र, जमाबन्दी सम्वत् 2029–32 मिलान खसरा जमाबन्दी 2071–74, मृत्यु प्रमाण पत्रों तथा शपथ – पत्रों का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस प्रार्थना पत्र अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः उक्त विवादित भूमि के खातेदार मूल पुरूष जेठा के पीथा पुत्र हुए तथा पीथा के पुत्रान मगाराम, बुघाराम डुंगाराम व रूपाराम हुए जिसका अंकन जमाबन्दी सम्वत् 2029– 32, मिलान खसरा सेटलमेन्ट विभाग में यथा पीथा, मगीया, बुधा, डुंगा व रूपा बेटा पोता जेठा 1/6 हिस्सा कालम संख्या 23 में दर्ज है, किन्तु कॉलम संख्या 24 में अंकन करते समय पीथा मगिया बुघा डुंगा व रूपा पि0 जेठा हिस्सा 1/6 गलत रूप से दर्ज हो गया, जो लिपिकीय सद्भाविक भूल वश दर्ज हुआ है तथा वर्तमान जमाबन्दी राजस्व रेकर्ड में यथावत दर्ज चला आ रहा है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस के दौरान व्यक्त तथ्यों के अनुसार पीथा, जेठा, का पुत्र है तथा पीथा के मगीया, बुधा, डुंगा, व रूपा चार पुत्र हुए जो जेठा के पौत्र है। पीथा के पिता का नाम जेठा तथा मगा, बुधा, डुंगा व रूपा के पिता का नाम पीथा है, न कि जेठा है। वस्तुतः जेठा क्रमशः मगा, बुधा, डूंगा व रूपा के दादा थे न कि पिता थे। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड दस्तावेजात, मृत्यु प्रमाण पत्र पीथाराम दिनांक 19.02.2020 अनुसार भी उनके पिता का नाम जेठाराम तथा डुंगाराम के पिता का नाम पीथाराम अंकित है। प्रस्तुत शपथ – पत्र, रूपाराम, ढगलाराम, पुत्र बुधाराम, गीगाराम पुत्र डुंगाराम तथा भोलाराम पोकरराम पिता मगाराम से भी प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो की संपुष्टि हो जाने से उक्त विवादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज इन्द्राज पीथाराम, मगाराम,बुधाराम डुंगाराम, रूपाराम पिता जेठा के स्थान पर पीथाराम पुत्र जेठाराम एवं मगाराम, बुधाराम, डुंगाराम रूपाराम पिता पीथाराम दुरूस्त इन्द्राज किये जाने के तहसीलदार सोजत को आदेश दिये जाने की ईश्तदुआ की है। उपस्थित तहसीलदार सोजत ने भी जबाव बहस के दौरान सद्भाविक भूलवश हुए उक्त त्रुटिपूर्ण

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

Scanned with CamScanner

इन्द्राज को पुनः दुरूस्त किये जाने की स्वीकारोक्ति / सहमति व्यक्त की है। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त विवादित भूमि के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत दर्ज इन्द्राज पीथाराम मगाराम बुधाराम डुंगाराम रूपाराम पिता जेठाराम 1/6 के स्थान पर वास्तविक व दुरूस्त इन्द्राज पीथाराम पुत्र जेठाराम, मगाराम, बुधाराम, डुंगाराम, रूपाराम पि0 पीथाराम दर्ज किये जाने तथा तत्पश्चात मृतक खातेदारान के विधिक वारिसानों के नाम नियमानुसार दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

—::आदेश::—

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा सरहद मौजा हरियामाली तहसील सोजत के वर्तमान राजस्व रेकर्ड खसरा नम्बर 397, 398, 399, 400, 409 व 410/1014 कुल किता 6 रकबा 09.8300 हैक्टर चा0प्रथम, जा0 दो0, बंजड, व गै0मु0 भूमि में गलत रूप से दर्ज नाम पीथाराम मगाराम बुधाराम डुंगाराम रूपाराम पिता जेठाराम 1/6 के स्थान पर वास्तविक व सही नाम पीथाराम पुत्र जेठाराम, मगाराम, बुधाराम, डुंगाराम, रूपाराम पि0 पीथाराम दुरूस्त रूप से इन्दाज कर दर्ज किये जाने तथा तत्पश्चात मृतक खातेदारान के विधिक वारिसानों के नाम नियमानुसार दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार सोजत को तहरीर के साथ निर्णय की प्रति भेजी जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर / लेख्य भण्डार जमा हो।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज

निर्णय आज दिनांक 1४.08.2020 को सेर इजलास में द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(दौलतराम चौधरी)
उप खण्ड अधिकारी, सोजत
सोजत (जिला-पाली) राज

Scanned with CamScanner